पत्रांकः /33–पी0एम0यू0–2013–465/2009

प्रेषक,

माजिद अली,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष,
पी0एम0यू0, बी0आर0जी0एफ0, उ0प्र0।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, कासगंज एवं उन्नाव।

परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी0आर0जी0एफ0) लखनऊ दिनांक 28 फरवरी, 2013

विषय–पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 की वार्षिक जिला योजना तैयार किए जाने के संबंध में मार्ग निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 के प्राविधानों के अधीन गठित जिला योजना समिति द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की वार्षिक योजना अनुमोदित की जाती है। इसी क्रम में बी0आर0जी0एफ0 जनपदों की वार्षिक योजना 2013–14 की संरचना की जानी है। वार्षिक योजना की संरचना हेतु प्रत्येक जनपद के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमन्य धनराशि का विवरण परिशिष्ट–1 पर तथा निकाय/पंचायतवार प्राविधानित धनराशि का विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

2. उल्लेखनीय है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 06.02.2013 में वार्षिक योजना वर्ष 2013–14 की संरचना के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिए गये हैं:–

"(1.1) प्रस्तावित व्यवस्था पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्ष 2013–14 से बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत विकास अनुदान मद में व्यापक सामूहिक हित के निम्नलिखित कार्यो को जनपद स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र हेतु क्रिटिकल गैप्स के रूप में चिन्हित करने में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये, क्योकि उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में वर्तमान में सम्पर्कता तथा पेयजल सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल गैप्स हैं :–

- अनजुड़ी बसावटों को एकल कनेक्टिविटी से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण – प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्धारित निर्माण विशिष्टियों के अनुरूप।
- पाईप वाटर सप्लाई एवं मिनी पाइप वाटर सप्लाई (Tank Type Stand Post) की योजनायें (विशेष रूप से जे0ई0/ए0ई0 एवं पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में)।
- ग्रामीण आन्तरिक मार्गों पर सी0सी0 रोड व ड्रेन का निर्माण।

उपलब्ध धनराशि का आवंटन उक्त तीनों मदों में यथासम्भव 50%, 25% व 25% क्रमशः कराने का प्रयास किया जाये। पंचायतीराज विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि उक्त तीन प्राथमिकतायें क्रिटिकल गैप्स के रूप में पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा चिन्हित कर वार्षिक

Gen 1

योजना में सम्मिलित की जायें। सम्पर्क मार्गों के चयन के सम्बन्ध में सर्वप्रथम उन बसावटों को लिया जाए जिनकी जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) 500 या उससे अधिक हो तथा जो PMGSY के कोर नेटवर्क से आच्छादित न हो। जब 500 से अधिक जनसंख्या वाली बसावटें जुड़ जाएं, तब 250 से अधिक आबादी वाली बसावटों को जोड़ा जाए।

(1.2) निर्णय लिया गया कि चूंकि जनपद स्तर पर वर्ष 2013–14 की वार्षिक योजना तैयार करने हेतु समय की कमी हैं, अतः जिला स्तर पर Technical Support Institutions के माध्यम से Vision Document तैयार कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस प्रक्रिया में लगभग 06 माह का समय लगना संभावित है। यह कार्य जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई द्वारा किया जाएगा।"

3. उक्त निर्णय के क्रम में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः–

(i) व्यापक सामूहिक हित के निम्नलिखित कार्यों को जनपद स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों हेतु क्रिटिकल गैप्स के रूप में चिन्हित करने में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेः–

(क) अनजुड़ी बसावटों को एकल कनेक्टिविटी से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्धारित निर्माण विशिष्टियों के अनुरूप।

(ख) पाईप वाटर सप्लाई एवं मिनी पाइप वाटर सप्लाई (Tank Type Stand Post) की योजनायें (विशेष रूप से जे0ई0 / ए0ई0 एवं पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में)।

(ग) ग्रामीण आन्तरिक मार्गों पर सी0सी0 रोड व ड्रेन का निर्माण।

यह सुनिश्चित कराया जाए की उक्त तीनो प्राथमिकताएं क्रिटिकल गैप्स के रूप में पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा चिन्हित कर वार्षिक योजना में सम्मिलित की जाएं। यह भी प्रयास किया जाय की उक्त तीनों मदों में यथा सम्भव क्रमशः 50%, 25% एवं 25% के अनुपात में धनराशि का प्राविधान किया जाए।

सम्पर्क मार्गों के चयन के सम्बन्ध में सर्वप्रथम उन बसावटों को लिया जाए जिनकी जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) 500 या उससे अधिक हो तथा जो PMGSY के कोर नेटवर्क से आच्छादित न हो। जब 500 से अधिक जनसंख्या वाली बसावटें जुड़ जाएं, तब 250 से अधिक आबादी वाली बसावटों को जोड़ा जाए।

(ii) जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई का यह दायित्व होगा कि उक्तानुसार चिन्हित "क्रिटिकल गैप्स" की पूर्ति हेतु परियोजनाओं के चयन के लिए प्रभावी रूप से सम्बन्धित पंचायतीराज संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाए।

(iii) नागर निकायों द्वारा भी वार्षिक कार्ययोजना तैयार करते समय नगर निगम द्वारा उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों द्वारा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में क्रिटिकल गैप्स को चिन्हित कर वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। नागर निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर "क्रिटिकल गैप्स" के रूप में विकासात्मक आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुये वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। दिनांक 24.12.2012 को आयोजित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक में नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि नागर निकायों में इण्टर लाकिंग निर्माण पर प्रतिबंध हैं अतः इस बिन्दु पर नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन के अद्यावधिक निर्देशो का अनुपालन बी0आर0जी0एफ0 की कार्ययोजना बनाने मे सुनिश्चित किया जाएगा।

(iv) योजना बनाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वार्षिक योजना हेतु कुल अनुमन्य धनराशि में से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए मात्राकृत धनराशि के सापेक्ष अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाएं अवश्य तैयार की जाए।

(v) नियोजन विभाग द्वारा जनपद की वार्षिक जिला योजना तैयार किये जाने के संबंध में निर्गत निर्देशों के अनुरूप बी0आर0जी0एफ0 की धनराशि हेतु तैयार की गई ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना, जिला पंचायत विकास योजना एवं नगर निकाय विकास योजना को संकलित कर जनपद की वार्षिक योजना तैयार की जाएगी तथा इसको अनुमोदनार्थ जिला योजना समिति से समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(vi) वार्षिक योजना तैयार करते समय स्थानीय स्तर पर अन्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों तथा राज्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि को भी कन्वर्जेन्स के माध्यम से उपभोग करने का प्रयास किया जाएगा। वार्षिक योजना हेतु अनुमन्य धनराशि के सापेक्ष 25% धनराशि बढ़ाकर ही वार्षिक योजना तैयार की जाएगी।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए वर्ष 2013–14 की बी0आर0जी0एफ0 की वार्षिक जिला योजना तैयार कराकर जिलायोजना समिति से अनुमोदित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक– यथोपरि

(माजिद अली)
प्रमुख सचिव/अध्यक्ष
पी0एम0यू0, बी0आर0जी0एफ0।

संख्याः 4264/33–पी0एम0यू0/2013–465/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव नियोजन/नगर विकास /समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
5. निदेशक पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक पंचायतीराज (लेखा) उ0प्र0 लखनऊ।
9. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 शासन।
10. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
12. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
13. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
14. पंचायतीराज अनुभाग–2 एवं 3, उ0प्र0 शासन।
15. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

कृते परियोजना निदेशक।

Gen I

पत्रांक: 4264 / 33–पी0एम0यू0–2013–465 / 2009

दिनांक:28 फरवरी, 2013 का संलग्नक

परिशिष्ट–1

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

वर्ष 2013–14 हेतु अनुमन्य धनराशि का विवरण

(धनराशि करोड़ में)

क्र0सं0	जनपद	अनुसूचित जाति सब प्लान	अनुसूचित जनजाति सब प्लान	गैर अनुसूचित जाति / जनजाति सब प्लान	योग
1	अम्बेडकरनगर	4.25	0.00	13.14	17.39
2	आजमगढ़	6.13	0.01	17.70	23.84
3	बहराईच	2.88	0.07	17.03	19.98
4	बलरामपुर	2.33	0.20	14.75	17.28
5	बांदा	3.72	0.00	14.12	17.84
6	बाराबंकी	5.60	0.00	15.22	20.82
7	बस्ती	3.74	0.00	14.16	17.90
8	बदायूं	3.85	0.00	18.67	22.52
9	चंदौली	4.01	0.00	12.50	16.52
10	चित्रकूट	3.84	0.00	10.75	14.59
11	एटा	3.63	0.00	13.70	17.33
12	फर्रूखाबाद	2.63	0.01	13.39	16.03
13	फतेहपुर	4.91	0.00	14.70	19.62
14	गोण्डा	3.25	0.00	17.49	20.74
15	गोरखपुर	5.05	0.01	17.86	22.92
16	हमीरपुर	3.71	0.00	12.58	16.29
17	हरदोई	7.55	0.00	16.53	24.08
18	जालौन	4.77	0.00	12.87	17.64
19	जौनपुर	5.23	0.00	18.63	23.87
20	कौशाम्बी	5.46	0.00	9.67	15.13
21	खीरी	6.38	0.29	18.27	24.94
22	कुशीनगर	3.66	0.00	16.52	20.18
23	कासगंज	2.84	0.00	13.12	15.96
24	ललितपुर	4.17	0.00	12.57	16.74
25	महराजगंज	3.56	0.02	14.68	18.27
26	महोबा	3.67	0.00	10.57	14.24
27	मिरजापुर	5.19	0.01	14.19	19.39
28	प्रतापगढ़	4.49	0.00	15.92	20.41
29	रायबरेली	6.42	0.01	15.09	21.52
30	संतकबीरनगर	3.21	0.00	11.95	15.16
31	श्रावस्ती	2.799	0.06	12.36	15.22
32	सिद्धार्थनगर	2.95	0.00	14.88	17.83
33	सीतापुर	7.81	0.00	16.70	24.51
34	सोनभद्र	8.16	0.01	11.30	19.47
35	उन्नाव	6.44	0.01	14.57	21.02
	Total	**158.31**	**0.73**	**508.15**	**667.19**

नोटः– उक्त फॉट वर्ष 2012–13 में अनुमन्य धनराशि के आधार पर तैयार की गई है। भारत सरकार की कार्यक्रम से सम्बन्धित वेबसाइट पर यदि उक्त फॉट में कोई संशोधन होगा तो वही मान्य होगा।

28.2.13

(अरविन्द कुमार सिंह)

क्रमांकः 4264 / 33–पी0एम0यू0–2013–465 / 2009

दिनांकः 28 फरवरी, 2013 का संलग्नक

परिशिष्ट–2

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

वर्ष 2013–14 हेतु निकायों / पंचायतों को अनुमन्य धनराशि का विवरण

(धनराशि करोड़ में)

क्र0सं0	जनपद	नागर निकाय (20%)	पंचायती राज संस्थाए (80%)			
			ग्राम पंचायत (70% अंश)	क्षेत्र पंचायत (10% अंश)	जिला पंचायत (20% अंश)	योग
1	गोरखपुर	4.58	12.84	1.83	3.67	22.92
2	कुशीनगर	4.04	11.30	1.61	3.23	20.18
3	आजमगढ़	4.77	13.35	1.91	3.81	23.84
4	अम्बेडकर नगर	3.48	9.74	1.39	2.78	17.39
5	बाराबंकी	4.16	11.66	1.67	3.33	20.82
6	चंदौली	3.30	9.25	1.32	2.64	16.52
7	बहराइच	4.00	11.19	1.60	3.20	19.98
8	बलरामपुर	3.46	9.68	1.38	2.76	17.28
9	श्रावस्ती	3.04	8.52	1.22	2.44	15.22
10	महोबा	2.85	7.97	1.14	2.28	14.24
11	सोनभद्र	3.89	10.90	1.56	3.12	19.47
12	बस्ती	3.58	10.02	1.43	2.86	17.90
13	संतकबीर नगर	3.03	8.49	1.21	2.43	15.16
14	सिद्धार्थनगर	3.57	9.98	1.43	2.85	17.83
15	ललितपुर	3.35	9.37	1.34	2.68	16.74
16	चित्रकूट	2.92	8.17	1.17	2.33	14.59
17	बांदा	3.57	9.99	1.43	2.85	17.84
18	हमीरपुर	3.26	9.12	1.30	2.61	16.29
19	मिर्जापुर	3.88	10.86	1.55	3.10	19.39
20	गोण्डा	4.15	11.61	1.66	3.32	20.74
21	एटा	3.47	9.70	1.39	2.77	17.33
22	कासगंज	3.19	8.93	1.28	2.55	15.95
23	फतेहपुर	3.92	10.99	1.57	3.14	19.62
24	रायबरेली	4.30	12.05	1.72	3.44	21.52
25	प्रतापगढ़	4.08	11.43	1.63	3.27	20.41
26	बदायूं	4.50	12.61	1.80	3.60	22.52
27	सीतापुर	4.90	13.73	1.96	3.92	24.51
28	हरदोई	4.82	13.48	1.93	3.85	24.08
29	उन्नाव	4.20	11.77	1.68	3.36	21.02
30	फर्रूखाबाद	3.21	8.98	1.28	2.56	16.03
31	महराजगंज	3.65	10.23	1.46	2.92	18.27
32	जौनपुर	4.77	13.37	1.91	3.82	23.87
33	लखीमपुर खीरी	4.99	13.97	2.00	3.99	24.95
34	कौशाम्बी	3.03	8.47	1.21	2.42	15.13
35	जालौन	3.53	9.88	1.41	2.82	17.64
	Total	**133.44**	**373.63**	**53.38**	**106.75**	**667.19**

28.2.13

(अरविन्द कुमार सिंह)

उप परियोजना निदेशक